राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

2033/2014

निगरानी संख्या–~~97~~/2016/चुरू

वाहिद खान पुत्र श्री मोहीदीन खान जाति कायमखानी निवासी मनोरंजन क्लब के पीछे, चुरू (राज0)

...प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार, जरिये उप–पंजीयक, चुरू।

...अप्रार्थी

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

श्री समीर अहमद
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से

श्री डी.पी. ओझा
राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.11.2016

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक), बीकानेर (जिसे आगे '**कलक्टर मुद्रांक**' कहा गया है) के आदेश दिनांक 08.10.2013 प्रकरण संख्या 50/2013 व रिव्यू प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक 16.09.2014 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे '**मुद्रांक अधिनियम**' कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें कलक्टर (मुद्रांक) ने उप पंजीयक, चुरू द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने ग्राम रामसरा में कृषि भूमि खसरा नं. 580/61 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा में से क्रेता के 67/09 हिस्सा खातेदारी से 9.858 हिस्सा कृषि भूमि क्रय कर विक्रय पत्र दिनांक 09.04.2012 को पंजीबद्ध करवाया। प्रकरण में उप पंजीयक चुरू द्वारा इस आधार पर रेफरेन्स प्रस्तुत किया कि की दस्तावेज के संलग्न खसरा गिरदावरी एक वर्ष सम्वत 2067 की मात्र लगा रखी है जबकि परिपत्र 02/04 के अनुसार चतुर्थ वर्षीय गिरदावरी होनी चाहिए अन्यथा सिंचित दर पर गणना की जानी चाहिए। नक्शा अनुसार भूमि सड़क पर स्थित भूमि की दरें लगाई जानी चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को बावजूद तामील होने के उपस्थित नही आने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए भूमि को सिंचित व सड़क के पास मानी जाकर रेफरेन्स स्वीकार किया है जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड तलब किया गया।

4. प्रकरण में बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी का कथन है कि उन्हें बिना विधिवत तामील कराये एकपक्षीय निर्णय पारित किया है।

लगातार.....2

क्रय की गई कृषि भूमि असिंचित है व सड़क से 150 मीटर दूरी पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्रय की गई कृषि भूमि को सिंचित व सड़क पर मानकर मूल्यांकन किया है जो विधिसम्मत नही है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे।

5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावे।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. निगरानीकर्ता का निगरानी में मुख्य आधार यह है कि उन्हें बिना विधिवत तामील कराये एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। क्रय की गई कृषि भूमि असिंचित है व सड़क से 150 मीटर दूरी पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने क्रय की गई कृषि भूमि को सिंचित व सड़क पर मानकर मूल्यांकन किया है जो विधिसम्मत नही है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार निगरानीकर्ता को नोटिस जारी हुए है जिसकी तामील प्रार्थी के पिता को हुई है जिसके आधार पर तामील मानते हुए एकपक्षीय कार्यवाही की गई है। इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार यह तामील विधिसम्मत नही मानी जा सकती क्योंकि नोटिस की तामील जिस व्यक्ति को जारी किया है उसी व्यक्ति को करवाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा यदि अन्य व्यक्ति को तामील करवाई जाती है तो उसके परिवार के वयस्क सदस्य को करवाई जा सकती है। नोटिस पर तामीलकर्ता की रिपोर्ट स्पष्ट नही है कि नोटिस पाने वाला उसके परिवार का सदस्य है या नही। इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय व्यक्तिगत तामील सुनिश्चित करने हेतु रजिस्टर्ड नोटिस भी जारी कर सकता था। प्रार्थी ने रिव्यू प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया है जिसमें निर्णय की जानकारी कुर्की वारन्ट की तामील दिनांक 05.01.2014 को होने पर प्राप्त होना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता को अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई का विधिसम्मत एवं युक्तियुक्त अवसर प्राप्त नही हुआ है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नक्शे में खसरा नम्बर 580/61 की स्थिति मुख्य सड़क पर प्रतीत नही हो रही है। 4 वर्षो की खसरा, गिरदावरियां भी प्रस्तुत हुई है तथा संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट भी पत्रावली में उपलब्ध है जिसमें यह वर्णित किया गया है कि खसरा नम्बर 580/61 सड़क से लगभग 150 मीटर की दूरी पर है तथा इस खसरे में सिंचाई के कोई साधन नही है व खसरा गिरदावरी संवत 2067 से 2069 में इस खसरे में एक फसल खरीफ ही काश्त की हुई है। उपरोक्त साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय में परीक्षण योग्य है तथा विवाद का मूल बिन्दु तभी हल हो सकता है जब अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त तथ्यों के संबंध में परीक्षण कर अपना निर्णय पारित करें।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय विधिसम्मत नही होने के कारण निरस्त योग्य है तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड

लगातार.....3

किये जाने योग्य है।

9. अतः निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 08.10.2013 व 16.09.2014 निरस्त किये जाते है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनकर नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पुनः पारित करें। प्रार्थी दिनांक 26.12.2016 को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपियां समस्त संबंधी को जारी हों। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर फैसल शुमार हो।

निर्णय सुनाया गया।

(नत्थू राम)

सदस्य